

**ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 (क) प्रस्तावना:—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री माटु राम शर्मा	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमती सुनीता	23.01.16 से लगातार

सचिव:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्री रमेश कुमार	01.04.14 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत चनावग के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष होना	0.19
2	6	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	9.30
3	7	भण्डारण प्रविष्टियाँ न करना	6.98

4	8	कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करना	2.46
5	9	निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पाना	8.14
6	11	बजरी के क्रय पर अधिक भुगतान करना	0.006

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री सोम राज कपूर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2017, 3.10.2017, 4.10.2017 व 09.10.2017 से 11.10.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/15, 2/16, 3/17 तथा 3/15, 7/15 व 7/16 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या फिन(एल0ए0)एस0आर0के0/33 दिनांक 10.10.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक, शाखा चनावग के ड्राफ्ट संख्या 086194 दिनांक 10.10.2017 के अन्तर्गत यह राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित की गई है।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका निधि वार विवरण निम्न पैरा 4.1, 4.2 व 4.3 पर तथा माह वार आय-व्यय का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क, ख" व "ग" पर दिया गया है:—

संकलित वित्तीय स्थिति:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	1246635.66	1951968.00	3198603.66	2383216.00	815387.66
2015—16	815387.66	2144274.46	2959662.12	1921317.98	1038344.14
2016—17	1038344.14	3135107.10	4173451.24	2447521.85	1725929.39

4.1 अनुदान तथा स्वः स्रोत:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	803177.86	569905	1373082.86	821898.00	551184.86
2015—16	551184.86	1525467	2076651.86	1343893.18	732758.68
2016—17	732758.68	1748940	2481698.68	1054626.00	1427072.68

रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष
दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि एवं हस्तगत रोकड़ का विवरण

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	हि०प्र०रा०स० बैंक, सीमित, सुन्नी	44110105715	195228.56
2	एच०डी०एफ०सी० सुन्नी	50100194625625	527653.00
3	बैंक ऑफ इण्डिया, दाडगी	790810110001636	56444.66
4	—यथोपरि—	790810110001637	91726.00
5	—यथोपरि—	790810110001638	11826.46
6	—यथोपरि—	790810110001639	8164.00
7	—यथोपरि—	790810110001640	3582.00
8	हिमाचल ग्रामीण बैंक, चनावग	9983010000312	132083.96
9	—यथोपरि—		402534.00
10	हस्तगत रोकड़		2051.30
	कुल		₹1431293.94
	अन्तर		₹4221.26

बैंक समाधान विरणी:-

क्र०सं०	विवरण	(+)	(-)
1	दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	1427072.68	—
2	बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2017 को खाता संख्या 44110105715 में दिया गया ब्याज जिसे रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया	4258.00	—
3	बैंक ऑफ इण्डिया, दाडगी द्वारा मास जुलाई, 2016 के दौरान खाता संख्या 1636 व 1638 में काटी गई कमीशन जिसे रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया (2.87 + 2.87)	—	5.74
4	दिनांक 31.3.2017 को बैंक शेष	—	1431293.94
5	अन्तर	—	31.00
कुल जोड़		₹1431330.68	₹1431330.68

4.2 आई०डब्ल्यू०एम०पी०

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	442878	138391	581269	317141	264128
2015—16	264128	168149.46	432277.46	126692	305585.46
2016—17	305585.46	387479.10	693064.56	394207.85	298856.71
रोकड़ बही/ वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को शेष					298856.71
दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि एवं हस्तगत रोकड़ का विवरण					
क्र०सं०	बैंक का नाम		खाता संख्या	जमा राशि	
1	बैंक ऑफ इण्डिया, दाडगी		790810110001208	18598.33	
2	—यथोपरि—		790810110002310	30751.56	
3	हिमाचल ग्रामीण बैंक, चनावग		99831700001314	249506.82	
			कुल	₹298856.71	
			अन्तर	शून्य	

4.3 मनरेगा:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	579.80	1243672	1244251.80	1244177.00	74.80
2015—16	74.80	450658	450732.80	450732.80	शून्य
2016—17	शून्य	998688	998688.00	998688.00	शून्य

4.4 रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना:—

ग्राम पंचायत चनावग, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला की रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पंचायत के पास उपलब्ध निधियों का बैंक अतिशेष सहित नकद अतिशेष का ब्यौरा रोकड़ बही में नहीं दर्शाया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना आवश्यक है। रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण आपत्तिजनक है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान सुनिश्चित किया जाये तथा पैरा 4.1 के अन्तर्गत बैंक समाधान विवरण में दर्शाये गये अन्तर पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:—

पंचायत की स्वः स्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से जाँच में पाया गया कि गृहकर की अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक आंशिक वसूली की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक गृहकर के रूप में ₹18570 पंचायत के राजस्व की वसूली शेष थी जिसकी अविलम्ब प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	—	7000	7000	340	6660
2015-16	6660	11760	18420	4470	13950
2016-17	13950	11850	25800	7230	18570

6 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही ₹9.30 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) में स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-घ की वर्णित टिप्पणी-1"** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹930076 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूर्ण किये अर्थात् निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 ₹6.98 लाख के क्रय की भण्डारण प्रविष्टियाँ न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय किये गये स्टॉक/स्टोर की भण्डारण प्रविष्टियाँ किया जाना अपेक्षित है। व्यय वाउचरों के अंकक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-घ" की वर्णित टिप्पणी-2"** में दिये गये विवरणानुसार ₹697586 के क्रय की गई विविध वस्तुओं की भण्डारण प्रविष्टियाँ नहीं की गई जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण सामग्री कब व किस कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई तथा कितनी सामग्री शेष है कि अंकक्षण के दौरान जाँच नहीं की जा सकी। अतः स्टॉक रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकक्षण में खपत के अभिलेख के साथ

प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा स्टॉक/स्टोर का रख रखाव नियमानुसार न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का लेखा-जोखा रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 ₹2.46 लाख के सड़क निर्माण कार्य में वास्तविक प्रयोग साधन के आधार पर मूल्यांकन न करना:—

₹246000 का भुगतान सड़क निर्माण कार्य की कुल 2540.95 घनमीटर की निष्पादित मात्रा हेतु विभिन्न फर्मों को 285 घंटे के लिये जे0सी0बी0 के किराये के रूप में निम्न विवरणानुसार किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "ऐनेलेसिस फॉर रेट्स-2009, वोल-1" (दिनांक 25.10.2009 से लागू) के अध्याय 8 के पैरा 3, ए (बी) में दिये गये मानकों के अन्तर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है। अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 77 के विभिन्न पन्नों पर इन कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन वास्तविक प्रयोग साधन "मैकेनिकल मींस" के आधार पर न करके "मैन्युअल मींस" के आधार पर किया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपरोक्त वर्णित "ऐनेलेसिस फॉर रेट्स 2009, वोल-1" में निर्धारित मानकों के अनुसार एक्सक्वेटर/जे0सी0बी0 द्वारा प्रति घंटा किये जाने वाले अपेक्षित कटिंग कार्य की मात्रा के आधार पर निष्पादित की गई कुल मात्रा तथा उपयोग होने वाले अपेक्षित घंटों के आधार पर मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये तदोपरान्त जे0सी0बी0 चार्जिस के रूप में 285 घंटे के लिये किये गये उक्त भुगतान से तुलना करके अधिक भुगतान हुई राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रमाणिकता प्रस्तुत की जाये:—

दिनांक	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	कार्य का नाम/माप पुस्तिका संख्या एवं पृ0	अर्थ कटिंग कार्य की निष्पादित मात्रा (माप पुस्तिका के अनुसार)	जे0सी0बी0 द्वारा किये गये कार्य के घंटे/दर प्रति घण्टा	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
27.10.14	11	50	लिंक रोड छमबा डोरा से जजैड का निर्माण (मा0पु0 77 पृष्ठ 02)	1048.93 (40% JW + 40% PW+20% SR घन मीटर)	40 / 1650 45 / 750	98000	प्रस्तुत बिल ₹99750 परन्तु भुगतान की गई ₹98000
19.2.2016	29 & 35		लिंक रोड छमबा डोरा	1014.96 (50% JW +	125 / 800	98000	प्रस्तुत बिल

			से जजैड का निर्माण (मा0पु0 77 पृष्ठ 15-16)	50% PW) घन मीटर			₹100000 परन्तु भुगतान की गई ₹98000
8.3.2017	46		लिंग रोड जुड से जजैड का निर्माण (मा0पु0 77 पृष्ठ 13-14)	477.06 (40% JW + 60% PW) घन मीटर	75/800	50000	प्रस्तुत बिल ₹60000 परन्तु भुगतान की गई ₹50000
					कुल	₹246000	

9 माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण ₹8.14 लाख के कार्य की वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि की जाँच सम्भव न हो पाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अनुसार विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का ब्यौरा माप पुस्तिका में निर्धारित रीति के अनुसार रखा जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित संकर्मों की माप पुस्तिकाएँ प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण "परिशिष्ट-घ की वर्णित टिप्पणी 3" में दर्शाये गये भुगतान ₹813940 की विभिन्न राशियों की मद वार वास्तविक निष्पादित मात्रा व मूल्यांकित राशि से जाँच सम्भव नहीं हो पाई और न ही विभिन्न संकर्मों में उपयोग किये गये सामान का विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप संकर्म वार क्रय/जारी सामान की मात्रा की वास्तव में उपयोग अथवा शेष मात्रा से तुलनात्मक जाँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 वर्गीकृत सार रजिस्टर तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में आय-व्यय का वर्गीकृत सार तैयार करना अपेक्षित है अर्थात् मदवार पृथक पन्ने पर एक भाग में आय और दूसरे भाग में व्यय की लेन-देन के अनुसार प्रविष्टियाँ की जायेगी तथा मासिक प्रगतिशील योग किया जायेगा। इस सार को बनाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखना है। जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण किया जाये।

11 बजरी के क्रय पर ₹600 का अधिक भुगतान:-

₹11000 का भुगतान मै0 मनसा गुडस कैरियर चनावग को वाउचर संख्या 22 दिनांक 1.4.2014 के अन्तर्गत रोकड़ बही पृष्ठ 02 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार सामुदायिक भवन बिड़की जामन के निर्माण के सम्बन्ध में ₹5500 प्रति टिप्पर की दर से दो टिप्पर बजरी की आपूर्ति हेतु किया गया जबकि वर्ष 2014-15 के लिये एकत्रित निविदाओं के अनुसार उपरोक्त फर्म द्वारा ₹5300 प्रति टिप्पर की दर से बजरी की आपूर्ति की जानी थी जिसके लिए कुल ₹10400 का भुगतान अपेक्षित था। इस प्रकार फर्म को ₹600 (11000-10400) का अधिक भुगतान किया गया जिसके सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि के वसूली उचित स्रोत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त नियमों के विपरीत बजरी की खरीद की गई है बजरी की खरीद प्रति घन मीटर की दर से की जानी चाहिए थी न कि टिप्पर के अनुसार। उक्त बजरी की खपत की जाँच भी नियमानुसार नहीं की जा सकी।

आगामी अंकेक्षण के दौरान खपत बजरी की स्टॉक प्रविष्टि तथा माप पुस्तिका सहित प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाये।

12 अदायगी आदेश के बिना भुगतान करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 (1) व (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिये नकद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुये संयुक्ततः हस्ताक्षरित या आह्वयकक्षरित नहीं किया जाता है। भुगतान वाउचरों की जाँच पर पाया गया कि पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ ही आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में सभी प्रमाणकों पर नियमानुसार भुगतान आदेश अंकित करने के उपरान्त ही अदायगी सुनिश्चित की जाये।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक छः महीने बाद प्रत्यक्ष

सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

- 14 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— इसे अलग से जारी नहीं किया गया है। समस्त लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर लिया गया है।
- 15 **निष्कर्ष:**— लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल०ए०)एच(पंच)15(i) 80 / 2017-खण्ड-1-1926-1929 दिनांक 17.3.2018 शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.9.2017 के क्रम में पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बसन्तपुर, जिला शिमला, हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत चनावग विकास खण्ड बसन्तपुर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं०-0177 2620881

